न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारी :— रतन कुमार स्वामी (आर.ए.एस.)

पत्रावली संख्या—30/2025 प्रार्थना पत्र जागीर

मिश्री देवी पुत्री कन्हैयालाल जाति स्वामी निवासी रूपपुरा (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

प्रार्थीया

बनाम

तहसीलदार श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत प्रपत्र 12 ए संशोधित किये जाने ।

वकील प्रार्थी श्री कैलाश स्वामी

निर्णय **दिनांकः— 23.04.2026**

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि मन्दिर श्री बालाजी का वाकै ग्राम रूपपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित है। देव स्थान विभाग उदयपुर के द्वारा भोग राशि प्राप्त करने हेतु जिन मन्दिरो को पंजिकृत किया गया है उन मन्दिरो की सूची तत्कालिन समय में तैयार की गयी थी जिसके मुताबिक सीकर जिले को अपनी सूची में क्रमांक 1226 पर दर्ज किया गया है तथा सीकर जिले में अवस्थित मन्दिरो की सूची में प्रार्थी मन्दिर श्री बालाजी पंजिकृत है जिसके क्रम संख्या 2687 फाईल क्रमांक F9(1315)Annuity/Dev/66/Sikar ग्राम रूपपुरा तह. श्रीमाधोपुर जिला सीकर है तथा पुजारी के रूप में प्रार्थीया के पूर्वज स्व. कन्हैयालाल पुत्र सुन्दर दास जी सेवा पूजा करते रहे है लेकिन सहवन से वर्ष 1963 में तत्कालीन समय में देव स्थान विभाग द्वारा मन्दिरों की गणना के समय सहवन से पुजारी कन्हैयालाल जी का नाम अंकित नहीं किया गया, जबकि मन्दिर की भूमियों में बतौर पुजारी काश्तकार कन्हैयालाल का नाम दर्शित है तथा कन्हैयालाल जी के पक्ष में जारी प्रपत्र 12 (क) में भी सहवन से मन्दिर के पुजारी कन्हैयालाल का नाम सहवन से अंकित नहीं हो सका। प्रार्थीया के पूर्वज कन्हैयालाल ने मन्दिर की अपने जीवन काल में सेवा पूजा की तथा इसी कारण देव स्थान विभाग द्वारा तहसीलदार को पत्र लिखकर पुजारी कन्हैयालाल को भोग राशि का भुगतान किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्व. कन्हैयालाल जी अपने जीवन काल में उक्त मन्दिर की सेवा पूजा करते रहे। उक्त मन्दिर की सेवा पूजा पूर्व में स्व. कन्हैयालाल जी करते थे जिनका देहान्त हो चुका है। उसके पश्चात् प्रार्थीया ही उक्त मन्दिर की सेवा पूजा करती आ रही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त मन्दिर श्री बालाजी की वर्तमान में सेवा पूजा, प्रार्थीया ही करती है। इसी कारण मन्दिर श्री बालाजी के पक्ष में युनिटी प्राप्त करने के लिए क्लेम स्वीकार किया गया जिसके क्लेम नम्बर 610 स्वीकृत राशि 26.54/— रूपये वार्षिकी दिनांक 01.07.1963 को कायम की गयी, तब से प्रार्थीया के पूर्वज उक्त मन्दिर की सेवा पूजा करते आ रहे है। वर्तमान में प्रार्थीया ही उक्त मन्दिर की सेवा पूजा निर्बाद रूप से शान्तिपूर्वक करती आ रही है। प्रार्थीया का सजरा खानदान इस प्रकार से है:—

कन्हैयालाल पुत्र सुन्दर दास (फौत)

↓

गेंदी देवी (पत्नी) (फौत)

↓

मिश्री देवी

अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

इस प्रकार सजरा खानदान के अनुसार स्पष्ट है कि प्रार्थीया ही उक्त मन्दिर की सेवा पूजा निर्वाद रूप से करती आ रही है। मन्दिर श्री बालाजी की सेवा पूजा प्रार्थीया के पूर्वज स्व. कन्हैयालाल व गेंदी देवी व उनकी मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीया ही मंदिर की सेवा पूजा व अन्य समस्त व्यवस्थाएँ सम्भाल रखी है तथा मंदिर की सेवा, आरती आदि की जिम्मेदारी प्रार्थीया पर ही है तथा वर्तमान में उक्त मन्दिर की सेवा पूजा प्रार्थीया ही करती आ रही है। प्रार्थीया के पूर्वज स्व. कन्हैयालाल व गेंदी देवी के प्रार्थीया के अलावा अन्य कोई वारीस नहीं हैं तथा ना ही स्व. कन्हैयालाल व गेंदी देवी जी ने अपने जीवन काल में किसी को गोद लिया हैं कन्हैयालाल की पत्नी श्रीमती गेंदी देवी के द्वारा प्रार्थीया के वसीयत की गयी है जिसके आधार पर प्रार्थीया अपने पुत्रो के सहयोग से उक्त मन्दिर की सेवा–पूजा रखरखाव व भोग राग की व्यवस्था करती चली आ रही है। प्रार्थीया वसीयत के आधार पर भी वारिश है जिसमें मन्दिर हितो को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीया युनिटी (मोग) राशि प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी है। अतः प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के पक्ष में मन्दिर श्री बालाजी वाकै ग्राम रूपपुरा तहसील श्रीमाधोपुर की युनिटी प्राप्ति हेतु उत्तराधिकारी घोषित किया जाकर प्रपत्र 12 (अ) जारी करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उज्रदारी नोटिस जारी किया गया। उज्रदारी नोटिस पर किसी प्रकार का ऐतराज नही आया। प्रार्थीया की और से वकील श्री कैलाश स्वामी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा साक्ष्य के रुप में प्रार्थीया मिश्री देवी पुत्री कन्हैयालाल जाति स्वामी निवासी रूपपुरा, प्रहलाद दास स्वामी पुत्र सुरजन दास स्वामी निवासी वार्ड नं. 3, स्वामी की ढ़ाणी, रूपपुरा उदालवास व रामसिंह शेखावत पुत्र गोविन्द सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी वोर्ड नं. 05, राजपूतो का मोहल्ला, रूपपुरा उदलवास जिला सीकर के शपथ पत्र पेश किये गये। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर द्वारा जारी मन्दिरों की सूची पेश की। देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर द्वारा जारी मन्दिरों की सूची जिसके क्लेम नम्बर 610 में मन्दिर श्री बालाजी रूपपुरा पुजारी निल अंकित है।

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवेदन बाबत प्रार्थीया के पुत्र हंसराज के पक्ष में संशोधित प्रपत्र 12 (ए) जारी करने हेतु पेश किया गया। आवेदन पेश कर प्रार्थीया ने निवेदन किया कि प्रार्थीया काफी वृद्व हो चुकी है एवं बीमार रहती है। हिन्दू संस्कृति में बालाजी की सेवा पूजा महिलाओं द्वारा किया जाना शास्त्र संगत नहीं है। प्रार्थीया द्वारा अपने जायन्दा पुत्र हंसराज पुत्र रमेश चन्द से उक्त मन्दिर की सेवा पूजा करवायी जाती है। इस प्रकार उक्त मन्दिर की सेवा पूजा की जिम्मेदारी अपने जायन्दा पुत्र हंसराज पुत्र रमेश चन्द स्वामी के पक्ष में जारी किये जाने की कृपा करे इसमें मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। अतः संशोधित प्रपत्र 12 (ए) हंसराज पुत्र रमेश चन्द के नाम से जारी किया जावे। प्रार्थी हंसराज द्वारा आवेदन पेश कर मन्दिर श्री बालाजी की सेवा पूजा वर्तमान में प्रार्थी द्वारा किये जाने एवं संशोधित प्रपत्र 12 (ए) प्रार्थी के नाम से जारी किये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आवेदन न्यायहित में स्वीकार किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से रिपोर्ट ली गई। अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस सुनी गई।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में मन्दिर श्री बालाजी के पक्ष में देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर द्वारा जारी मन्दिरों की सूची के मुताबिक मन्दिर श्री बालाजी, रूपपुरा अंकित है। मन्दिर श्री बालाजी के पक्ष में क्लेम नम्बर 610 राशि 26.54/– पैसे का स्वीकृत किया हुआ है। उक्त समस्त राशि मन्दिर श्री बालाजी के नाम से स्वीकृत है। उज्रदारी नोटिस जारी किये जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की आपति नही आई है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 06.02.2026 में अंकित किया गया है कि "राजस्व ग्राम रूपपुरा उदलवास में जमाबंदी खाता न. 93 खसरा नम्बर 68 से 74 कुल किता 7 कुल रकबा 14.65 है0 काश्तकार का नाम मन्दिर श्री बालाजी दर्ज रिकार्ड है। खसरा गिरदावरी ग्राम

अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

रूपपुरा संवत् 2011–2014 के खसरा नम्बर 212, 213, 214, 215, 216 के कॉलम संख्या 6 में माफी मन्दिर श्री बालाजी कन्हैयादास पुत्र सुन्दरदास थोई पुजारी के नाम अंकित है। दिनांक 20.01.2026 को वर्तमान पुजारी की जानकारी मजमे आम में ली गई। वर्तमान में हंसराज पुत्र रमेशचन्द स्वामी निवासी थोई द्वारा पूजा–पाठ करना बताया गया है।" पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य शपथ पत्रों के मुताबिक मन्दिर श्री बालाजी के पूर्व पुजारी की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीया मिश्री देवी द्वारा सेवा पूजा किये जाने बाबत अंकित किया हुआ है एवं प्रार्थीया मिश्री देवी द्वारा आवेदन पेश कर प्रार्थीया के जायन्दा पुत्र हंसराज पुत्र रमेश चन्द स्वामी निवासी रूपपुरा (थोई) द्वारा मन्दिर श्री बालाजी की सेवा पूजा किये जाने से संशोधित प्रपत्र 12 (ए) रमेश चन्द के नाम जारी किये जाने हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक मन्दिर श्री बालाजी वाकै ग्राम रूपपुरा की वर्तमान में पूजा–पाठ हंसराज पुत्र रमेशचन्द स्वामी निवासी रूपपुरा (थोई) द्वारा किये जाने बाबत अंकित किया हुआ है। इस प्रकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट, साक्ष्य शपथ–पत्र एवं प्रार्थीया द्वारा किये गये निवेदन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः

आज्ञा है कि

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मन्दिर श्री बालाजी वाकै ग्राम रूपपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के पूर्व पुजारी की मृत्यु उपरान्त प्रार्थीया के जायन्दा पुत्र हंसराज पुत्र रमेशचन्द स्वामी निवासी रूपपुरा (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के नाम से संशोधित प्रपत्र 12ए जारी होकर आयुक्त, देवस्थान विभाग,उदयपुर (राजस्थान) व सम्बन्धित को प्रति भिजवाई जावे। फार्म 12ए में इस प्रकार का नोट लगाया जावे कि यह वार्षिक वृति प्राप्त करने हेतु ही मान्य होगा। राजस्व रिकार्ड में मूर्ति मन्दिर की भूमि की खातेदारी में नाम अंकन हेतु मान्य नही होगा। भूमि मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में ही रहेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार स्वामी)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर
अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

संशोधन प्रपत्र 12"अ"

(नियम 39(3)देखें)

कार्यालय अपर जिला कलक्टर (जागीर) सीकर (राज.)

राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1969 की धारा 7 की द्वितीय अनुसूची के अन्तर्गत वार्षिक भुगतान की निरन्तरता का प्रमाण पत्र।

जागीर का नाम ग्राम रूपपुरा तहसील श्रीमाधोपुर संस्थान का नाम मन्दिर श्री बालाजी, रूपपुरा पुजारी Nil पर अंकित नाम के अनुसार नाम जागीर रूपपुरा क्लेम नम्बर 610

प्रमाणित किया जाता है कि मंदिर श्री बालाजी संस्था धार्मिक शैक्षणिक अथवा दायत्य प्रकृति की है ओर यह राजस्थान भूमि सुधार और जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1969 की द्वितीय अनुसूची की धारा 26 और अनुच्छेद 7 के अन्तर्गत 1.7.63 से उपरोक्त जागीर के पुर्नग्रहण के कारण रूपये 26.54/– पैसे वार्षिकी निरन्तरता भुगतान प्राप्त के लिये अधिकृत है। कथित संस्था की वार्षिकी का भुगतान देवस्थान आयुक्त राज0 द्वारा होगा जो कि जागीर पुर्नग्रहण की तिथी से प्रारम्भ होकर प्रति वर्ष देवस्थान विभाग के इस हेतु नियत बजट से देय होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह संशोधित प्रपत्र 12–अ पूर्व पुजारी की मृत्यु उपरान्त प्रार्थी हंसराज पुत्र रमेशचन्द स्वामी निवासी रूपपुरा (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर को निर्णय दिनांक 23.04.2026 की अनुपालना में केवल मन्दिर श्री बालाजी की वार्षिकी वृति प्राप्त करने हेतु जारी किया गया है। यह आदेश राजस्व रिकार्ड में मूर्ति मन्दिर की भूमि की खातेदारी में नाम अंकित हेतु मान्य नही होगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निल की धनराशि अंतरित मुआवजे के रुप में पहले ही दी जा चुकी है और जिसे उपरोक्तानुसार देय वार्षिक में से कम किया जाना है।

आज दिनांक 23.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

अपर जिला कलक्टर(जागीर)
सीकर

अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

क्रमांक 220-31/जागीर/26 दिनांक : 23/04/26

प्रतिलिपिः–

1.आयुक्त, देवस्थान विभाग, राज0 उदयपुर।
2.महालेखाकर, राज0 जयपुर ।
3.तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर
4.पुजारी हंसराज पुत्र रमेशचन्द स्वामी निवासी रूपपुरा (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

अपर जिला कलक्टर(जागीर)
सीकर

अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर